"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11265/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 28 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह 6 अगस्त, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यत:, W.P. (C) No. 2193 of 2014-उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन वि. छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, निर्णय दिनांक 06-08-2015 के साथ-साथ रिट अपील अर्थात् W.A. No. 1125 of 2012, W.A. No. 355 of 2014, W.A. No. 317 of 2014, W.A. No. 378 of 2014, W.A. No. 390 of 2014 और W.A. No. 392 of 2014 में, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय (उमाजी केशव मेश्राम एवं अन्य वि. श्रीमती राधिकाबाई एवं अन्य, 1986 Supp SCC 401) के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये, अभिनिर्धारित किया है कि किसी पक्षकार को अपील करने के अधिकार से वंचित करना, न्याय एवं निष्पक्षता से वंचित करने के बराबर है और इसलिये प्रतिवादित स्पष्टीकरण को असंवैधानिक घोषित किया है.

अतएव, उक्त अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव के साथ संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 8 दिसम्बर, 2015

महेश गागड़ा
विधि एवं विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) का सुसंगत उद्धरण-

धारा 2 (1)

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली खण्ड न्यायपीठ को होगी.

परंतु किसी अन्तवर्ती आदेश के विरुद्ध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए परित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.

स्पष्टीकरण- जहां खण्डपीठ के साथ प्रस्तुत याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश या निर्णय के विरुद्ध उठाये गये बिन्दु जो, यथास्थिति, किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निर्णित किये गये हों, वहां पर यह उपधारणा की जावेगी कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश या निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया है.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.